भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 198
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 18 नवम्बर, 2019
27 कार्तिक, 1941 (शक)

एएसआई द्वारा चिन्हित भवन

198 श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी:
श्रीमती शारदा ए. पटेल:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत अब तक चिन्हित किए गए पुरातात्विक महत्व के भवनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि पुरातात्विक महत्व के भवनों को नष्ट कर दिया गया है और इन स्थलों को होटल, क्लबों, परिसरों और विवाह भवनों के रूप में विकसित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 3691 स्मारकों/स्थलों को केन्द्रीय संरक्षित घोषित किया गया है और इनकी देख-रेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। स्मारकों/स्थलों की संख्या का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक से ऐसे किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 18.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 198 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की संख्या

क्र .सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	129
2	अरूणाचल प्रदेश	03
3	असम	55
4	बिहार	70
5	छत्तीसगढ़	47
6	दमण एवं दीव (संघ शासित क्षेत्र)	12
7	गोवा	21
8	गुजरात	203
9	हरियाणा	91
10	हिमाचल प्रदेश	40
11	जम्मू एवं कश्मीर	69
12	झारखंड	13
13	कर्नाटक	506
14	केरल	28
15	मध्य प्रदेश	292
16	महाराष्ट्र	286
17	मणिपुर	01
18	मेघालय	08
19	मिजोरम	01
20	नागालैंड	04
21	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	174
22	ओडिशा	80
23	पुद्दुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	07
24	पंजाब	33
25	राजस्थान	163
26	सिक्किम	03

27	तेलंगाना	08
28	तमिलनाडु	413
29	त्रिपुरा	08
30	उत्तर प्रदेश	745
31	उत्तराखंड	42
32	पश्चिम बंगाल	136
	कुल योग	**3691**